पत्र संख्या–परिपत्र–आई0टी0 वेबसाइट अपडेशन/ (2017–18)/997 /1718038 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0–अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक 13 सितम्बर, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रदेश में लागू जी0एस0टी0 व्यवस्था में व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाईलिंग, टैक्स पेमेन्ट, अमेन्डमेंट आदि समस्त कार्य जी0एस0टी0 पोर्टल पर ऑनलाइन ही सम्पादित करने हैं । व्यापारियों को जी0एस0टी0 पोर्टल पर माइग्रेशन, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाईलिंग, टैक्स पेमेन्ट आदि प्रकियाएं करने में कतिपय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसके अनुश्रवण हेतु विभागीय वेबसाइट पर GST FEEDBACK विषयक Webpage का निर्माण किया गया है ।

यह Webpage विभागीय वेबसाइट www.comtax.up.nic.in के शीर्ष भाग में GST FEEDBACK के Tab को Click करने पर उपलब्ध होगा । GST FEEDBACK पेज पर डीलर/अधिवक्ताओं द्वारा माइग्रेशन, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, पेमेन्ट, कम्पोजीशन स्कीम कनेक्टिविटी से सम्बंधित समस्याओं तथा जिज्ञासाओं को Drop Down से Select करते हुए अंकित कराते हुए Comments के कॉलम में अपनी समस्या का उल्लेख भी किया जा सकता है । इस पेज पर समस्या से सम्बंधित Document / Screen Shot भी PDF Format में (Minimum Size 200 kb) अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है । समस्या अंकित करने के साथ–साथ व्यापारी को अपना मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई0डी0 भी अंकित करना अनिवार्य होगा जिससे कि उसकी समस्या/जिज्ञासा का समाधान कर उसे सूचित किया जा सके । GST FEEDBACK पेज पर विभागीय अधिकारियों द्वारा Backend Issue श्रेणी में जी0एस0टी0 Backend Module पर कार्य करने में आ रही समस्याओं को भी इंगित किया जा सकता है । अधिकारियों द्वारा भी व्यापारी के स्तर से अवगत करायी गयी समस्याओं का फीडबैक इनके GSTIN नम्बर सहित दिया जा सकता है ।

अतः व्यापारियों/अधिवक्ताओं की समस्याओं/जिज्ञासाओं के समाधान तथा अनुश्रवण हेतु विभागीय वेबसाइट पर विकसित किये गये GST FEEDBACK पेज का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए जी0एस0टी0 से सम्बंधित समस्त समस्याओं को उपरोक्त फीडबैक चैनल के माध्यम से प्रकाश में लाने हेतु व्यापारियों/अधिवक्ताओं को प्रेरित तथा जागरूक कराना सुनिश्चित करें ताकि जी0एस0टी0एन0 को समस्याओं से अवगत कराते हुए समयान्तर्गत समाधान कराया जा सके ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें ।

13/09/17
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।